

The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Third Amendment) Act, 2005

Act 11 of 2005

Keyword(s): Officer of Municipality, Misappropriated Municipal Fund

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

۱

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/03 (लाइसेन्स दू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)





उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0 माध 11, 1926 शक सम्वत्

> उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 31 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 11, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन)

अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं० 11, सन् 2005)

[मारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विघान समा द्वारा अधिनियमित] उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

1—यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

मूल अधिनियम की घारा 54 का संशोधन 2--उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जिसे यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है, की घारा 54 में उपघारा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रख दी जायेगी; अर्थात् :---

(2) उपाध्यक्ष की पदादधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष छः माह या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो; होगी।

(3) उक्त उपघारा (2) के उपबन्ध ऐसे किसी उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे, जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये हों।

3--मूल अधिनियम की धारा 47-क निकाल दी जायेगी।

गूल अधिनियम (संख्या 2, सन् 1916) की घारा 47–क का निकाला जाना

धारा ४८ का संशोधन

4-मूल अधिनियम की घारा 48 में-

(क) उपघारा (2) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (आठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे :--

अर्थात्–

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी हो; या

(दस) नगरपालिका की निधि का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किया है; या

(ग्यारह) नगरपालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(बारह) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंधन किया है: या

(तेरह) नगरपालिका की बैठक में इस प्रकार से बाघा उत्पन्न की है कि किसी बैठक में नगरपालिका का कार्य संचालन असमव हो जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है: या

(पन्द्रह) नगरपालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगरपालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य को अतिक्रमण करने में सहायता की है या प्रेरित किया है।

(ख) उपघाराँ (2-क) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

5--मूल अधिनियम की घारा 87-क निकाल दी जायेगी।

वारा ४७---क का निकाला जाना

मूल अधिनियम् की धारा 96 का संयोधन 6—मूल अधिनियम की घारा 96 की उपघारा (1) के खण्ड (ख) में— (क) शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे

(ख) शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेगे,

(ग) परन्तुक में शब्द "बीस हजार रुपये" के स्थान घर शब्द "एक लाख रुपये", रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

आई० जे० मल्होत्रा, प्रमुख सचिव।

2

घारा 87--क का

No. 422/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, January 31, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1915) (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 11 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29-1-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT NO. 11 OF 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India] Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation and Modification Order, 2002

AN.

Act

 The Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pracesh Municipalities Short Title Act, 1916) (Third Amendment) Act, 2005.

2. In Section 54 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Adaptation & Modification Order, 2002 hereinafter referred to as the Principal Act, in sub-section (2) the following sub-sections shall be substituted, namely :---

(2) the term of office of a Vice-chairman shall be two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a member, whichever is less.

(3) the provision of aforesaid sub-section(2) shall also apply to the Vicechairman, who is declared elected in the last election.

3. Section 47--A of the Principal Act shall be omitted.

4. In Section 48 of the Principal Act--

(a) In sub-section(2), in clause (b) after sub-section (vili), the following subclauses shall be inserted, namely :--

(ix) caused loss or damage to any property of the Municipality; or

(x) misappropriated or misused the Municipal fund; or

(xi) acted against the interest of the Municipality; or

(xii) contravened the provisions of this Act or the rules made thereunder; or

(xiii) created an obstacle in a meeting of the Municipality in such manner that it becomes impossible for the Municipality to conduct its business in the meeting or instigated some one to do so; or

(xiv) willfully contravened any order or direction of the State Government given under this Act; or

 (xv) misbehaved without any lawful justification with the officers or employees of the Municipality; or

(xvi) disposed off any property belonging to the Municipality for a price less than its market value; or

Omission of Section 47-A of the Principal Act, (Act No. 2

Amendment of Section 54 of

the Principal Act

of 1916) Amendment of Section 48 उत्तरांचल असाधारण गजट, 31 जनवरी, 2005 ई0 (माघ 11, 1926 शक सम्वत्)

(xvii) encroached, or assisted or instigated any other person to encroach upon the land, building or any other immovable property of the Municipality.

(b) In sub-section (2-A) the proviso shall be omitted.

5. Section 87-A of the principal Act shall be omitted.

Omission of

6. In section 96 of the Principal Act, in sub-section (I), in clause (b)--

(a) for the words "ten thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be substituted,

(b) for the words "three thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted,

(c) in the proviso for the words "twenty thousand rupees" the words "one lakh rupees" shall be substituted.

By Order,

I. J. MALHOTRA, Principal Secretary.

Section 87-A Amendment of

Section 96 of the Principal Act

पी०एस0यू० (आर0ई०) 11 विधायी/35→2005-85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।